



70



न्यायालय राजस्व गण्डल केन्द्र ग्वालियर म०प्र०

प्र०क्र० - /03 निगरानी

R-777-III/03

श्री यमराज अस्मिता  
3पौ अम सिद्धे 20.5.03  
को अवेदकपे मयि 21

R. P.  
20.5.03  
[Signature]

- 1- रमेश पिता शंकरलाल विरवाल जैन,
- 2- लीलाबाई पिता शंकरलालजी विरवाल जैन,  
निवासी ग्राम पिपलोन तहसील नीमच जिला नीमच  
हाल मुकाम नीमच केन्ट तहसील नीमच जिला नीमच

-----अवेदकगण

विरुद्ध

- 1-मांगीलाल पिता किशनलालजी विरवाल जैन निवासी  
नीमच केन्ट -
- 2- रामचन्द्र पिता नाथुलालजी विरवाल जैन निवासी  
नीमच केन्ट -
- 3- प्रकाश पिता नाथुलालजी विरवाल जैन निवासी नी  
केन्ट तहसील नीमच जिला नीमच -- -- अनावेदकगण

पुनर्रक्षण का आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 भूराजसंहिता -

माननीय महोदय

आवेदकगण अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उक्त  
सभाग केन्द्र उज्जैन के आदेश दिनांक 31-7-02 प्र०क्र० 173/00-01 अधील से -  
असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनर्रक्षण का आवेदनपत्र  
ज्ञान होने के दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत करते हैं ।-


[Signature]



R 777-10/03

19-1-16

कावेरक के को ले को  
उपस्थित नहीं। कावेरक के  
को ले सुभी किता सुभी का का  
एक कावेरक, कावेरक कावेरक  
का सुभी कावेरक कावेरक कावेरक  
कावेरक कावेरक कावेरक कावेरक  
कावेरक कावेरक कावेरक कावेरक  
कावेरक कावेरक कावेरक कावेरक  
कावेरक कावेरक कावेरक कावेरक  
कावेरक कावेरक कावेरक कावेरक  
कावेरक कावेरक कावेरक कावेरक





R 777-III 103 नीमय

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिकारियों  
आदि के हस्त

संलग्न प्रकटा पत्र के आधार पर  
वर्ष 2003 के कांटेक्ट की शुरु  
के उपरान्त उनकी को के जमान  
कांटेक्ट प्रकृत नही किया गया  
है। अतः जमान कांटेक्ट प्रकृत  
न करने की रशा में प्रकटा  
संप्रति किया गया है प्रकटा  
वसी ला समाप्त किया गया है।

७  
सदस्य

20